

मध्यप्रदेश शासन

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल-462004

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /04/2021

क्रमांक एफ 2-10/2009/जसं/24:- राज्य शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/ नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008, 01 अप्रैल, 2008, 04 अगस्त 2008 एवं 24 सितम्बर 2008 एवं 30/09/2014 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत शासकीय सेवकों को समयमान ( TIME SCALE PAY ) वेतनमान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप विभागीय समिति की दिनांक 02/03/2021 को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों को संवर्ग में 8/16/30 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप कालम-5 में दर्शाई तिथि से प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्था का स्थान	सीधी भर्ती/ पदोन्नति के पद पर नियुक्ति की तिथि	08/16/30 वर्ष सेवा पूर्ण करने की तिथि	समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतर वेतनमान एवं पात्रता की तिथि	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री अतुल खरे, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल	11/04/1991 { सीधी भर्ती से सहायक संचालक}	11/04/2021 { 30 वर्ष }	123100-215900 { तृतीय उच्चतर वेतनमान } 11/04/2021 से	
2.	श्रीमती सुनीता दुबे, सहायक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल	14/12/2011 { पदोन्नति सहायक संचालक}	14/12/2019 { 08 वर्ष }	67300-206900 { प्रथम उच्चतर वेतनमान } दिनांक 14/12/2019 से	
3.	श्री जे०पी०राठौर, सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड	24/08/2012 { पदोन्नति सहायक संचालक}	24/08/2020 { 08 वर्ष }	67300-206900 { प्रथम समयमान वेतनमान } 24/08/2020 से	
4.	श्री समरजीत सिंह चौहान, सहायक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	24/08/2012 { पदोन्नति सहायक संचालक}	24/08/2020 { 08 वर्ष }	67300-206900 { प्रथम उच्चतर वेतनमान } 24/08/2020 से	
5.	श्रीमती करुणा राजुरकर, सहायक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल	24/08/2012 { पदोन्नति सहायक संचालक}	24/08/2020 { 08 वर्ष }	67300-206900 { प्रथम उच्चतर वेतनमान } 24/08/2020 से	

2. राजपत्रित अधिकारियों को समयमान वेतनमान योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वित्त विभाग के नियम, उपनियमों का पालन किया जाकर तथा संचालक कोष लेखा एवं पेंशन अथवा कोषालय से पुष्टि कराई जाकर संबंधित अधिकारियों के वेतन का आहरण किया जायेगा।

निरंतर.....2/-

3. संबंधित अधिकारियों की वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत ही रहेगी तथा पदनाम परिवर्तित नहीं होगा।  
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

{ डॉ० एच० एल० चौधरी }

अपर सचिव

म०प्र०शासन, जनसंपर्क विभाग

भोपाल, दिनांक ०५/०४/२०२१

पृ०ठां०क्रमांक एफ २-१०/२००९/जसं/२४

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, म०प्र०ग्वालियर ।
2. ✓ आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर ०३ अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. अपर/संयुक्त संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय मुरैना [ म०प्र० ]
4. उप/सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड [ म०प्र० ]
5. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय भोपाल/जिला कोषालय भिण्ड [ म०प्र० ]
6. संबंधित-

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

7. स्टाक फाईल।

अपर सचिव

म०प्र०शासन, जनसंपर्क विभाग  
१५